फर्द अहकाम
(नियम 26)

...ख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड एडी नोटिस की रसीदे पेश की। न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण को रूक-रूककर अवाजें लगायी गयी, परन्तु ना तो अप्रार्थीगण स्वयं और ना ही उनकी तरफ से कोई वकील हाजिर आये, लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील प्रार्थीगणकी बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होते है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 13.07.2023 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। (सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप (फलोदी) सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	